नेपाल के नागरिकता कानून को लेकर विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2006 के संशोधन विधेयक** को पुनर्विचार के लिये नेपाल संसद के निचले सदन में वापस भेज दिया।

नागरिकता कानून से संबंधित विवाद का कारण:

- **परिचय:**
  - वर्ष 2006 में नेपाल में राजशाही के पतन और उसकी शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक रूप से परिवर्तन के बाद वर्ष 2015 में एक संविधान को अपनाने के बाद **बहुदलीय प्रणाली** का उदय हुआ।
    - इसके कारण **संविधान लागू होने से पूर्व जन्म लेने वाले** सभी नेपाली नागरिकों को प्राकृतिक नागरिकता मिल गई।
    - लेकिन इनके बच्चे नागरिकता से वंचित हो गए हैं क्योंकि इस मुद्दे को **एक संघीय कानून द्वारा निर्देशित** किया जाना था, जिसे **अभी तक तैयार नहीं** किया गया है।
      - हाल के संशोधन से नागरिकता से वंचित युवाओं और उनके माता-पिता के लिये **नागरिकता का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद** है।
- **अधिनियम में निहित मुद्दे:**
  - **लैंगिक भेद-भाव:**
    - **यह लैंगिक न्याय के स्थापित मापदंडों के विरुद्ध** है, एक नए संशोधन के अनुसार नेपाली नागरिकता वाले पिता या माता से पैदा हुए व्यक्ति को **वंश के आधार पर नागरिकता** मिल सकती है।
    - साथ ही, एक व्यक्ति जो एक **नेपाली माँ (जो देश में रह चुकी है) एक अज्ञात पिता से पैदा हुआ है, उसे भी** वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी।
      - लेकिन यह प्रावधान **उस महिला के लिये अपमानजनक** है, क्योंकि बच्चे को नागरिकता के लिये आवेदन करने हेतु उसके पति को अज्ञात घोषित करना पड़ता है।
      - इसके अलावा **नेपाली पिता के मामले में ऐसी किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं** है।
  - **प्रकृति में विरोधाभासी:**
    - यदि कोई बच्चा **नेपाली माँ और विदेशी नागरिकता रखने वाले पिता से** उत्पन्न हुआ है, तो उसे प्राकृतिक नागरिकता मिल सकती है।
      - यह माँ (और बच्चे) पर स्थायी निवास की शर्त रखता है जो बच्चे के लिये नागरिकता प्रदान करने का निर्धारण करेगा।
  - **कानून की त्रुटिपूर्ण प्रकृति:**
    - यदि कोई व्यक्ति जो **नेपाली माँ और अज्ञात पिता** से संतान के रूप में जन्म लेता है, को वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, **हालाँकि अज्ञात पिता विदेशी नागरिक है, तो वंश द्वारा नागरिकता को प्राकृतिक नागरिकता में बदल दिया जाएगा।**

इस संशोधन की आवश्यकता:

- नेपाली पुरुष **विशेष रूप से तराई क्षेत्र वाले, उत्तरी भारत की महिलाओं से शादी करना जारी रखते हैं तो** इससे उनकी नेपाली पहचान प्रभावित हो सकती है।
- **"बेटी-रोटी"** मुद्दा (**भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले नेपाली पुरुष**), कई महिलाएँ नेपाल की नागरिक नहीं बन सकीं क्योंकि नेपाल में नागरिकता के लिये आवेदन करने से पहले उन्हें सात वर्ष की पुनर्विचार अवधि के अधीन किया गया था।
- चूँकि **ऐसी महिलाएँ नागरिकता वंचित थीं, ऐसे परिवारों के बच्चे भी अक्सर नेपाली नागरिकता वंचित पाए जाते थे।**
- इसलिये **नए संशोधनों ने इन नागरिकता वंचित महिलाओं के लिये पुनर्विचार-अवधि को समाप्त कर दिया** है।
- इससे **ऐसे परिवारों के बच्चों को फायदा होगा जहाँ माँ और बच्चे सालों तक नागरिकता वंचित रहे हों**।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/controversy-around-nepal-s-citizenship-law